

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

सं०सं०-4/नि०स्था०(विविध)-07/15

**आदेश**

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज के बीमारी से ग्रसित होने एवं उपार्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप श्री प्रमोद कुमार तिवारी, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त कोषागार संहिता के नियम-84 के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

2. महाप्रबंधक के योगदान देने के पश्चात् यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं०सं०-4/नि०स्था०(विविध)-07/15/...../ पटना, दिनांक.....  
**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं०सं०-4/नि०स्था०(विविध)-07/15/...../ पटना, दिनांक.....  
**प्रतिलिपि:-** जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं०सं०-4/नि०स्था०(विविध)-07/15/...../ पटना, दिनांक.....  
**प्रतिलिपि:-** सरकार के उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04, उद्योग निदेशालय/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।